राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

01 DEC 2019

क्रमांक :प.1(6)नविवि/जोधपुर/2019 जयपुर, दिनांक

अधिसूचना

यह कि जोधपुर विकास प्राधिकरण को जोधपुर शहर में बरसाती पानी सुगम रूप से निकासी हेतु प्राधिकरण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जिला व तहसील जोधपुर में स्थित माता का थान सारण नगर रेल्वे लाईन मुख्य बाईपास पर नाला निर्माण हेतु ग्राम डिगाडी, नान्दड़ी, पूजंला, खोखरिया, गुजरावास खुर्द एवं बनाड़ की निजी खातेदारी कुल रकबा 156.15 बीघा (विवरण संलग्नानुसार) भूमि अवाप्ति की जनहित व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, द्वारा उक्त भूमि अवाप्ति की मांग जिला कलक्टर जोधपुर को पत्र क्रमांक जेडिए/विवियो/अवार्डी/2019/2855–2857 दिनांक 14.08.2019 द्वारा भिजवाई जा चुकी है।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकरण में सामाजिक समाघात अध्ययन (Social Impact Assessment Study) का निर्धारण कार्य निष्पादन करने का निर्णय लिया गया है। सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त पत्र क्रमांक जेडिए/अवाप्ति/माता का थान/2019/2879 दिनांक 06.09.2019 द्वारा प्रस्तावित भूमि अवाप्ति का ब्यौरा तथा जिला व तहसील जोधपुर में माता का थान सारण नगर रेल्वे मुख्य नगर बाईपास पर नाला निर्माण हेतु अवाप्ति की जाने वाली भूमि का विवरण प्राप्त हो चुका है। सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 06.09.2019 से प्राप्त उक्त ग्रामों की अवाप्त की जाने वाली भूमि के संबंध में सामाजिक समाघात निर्धारण कार्य करवाने हेतु जिला कलक्टर जोधपुर को एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर स्वंय के स्तर से अधिनियम के विधिक प्रावधानान्तर्गत या राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में से किसी एक से उक्त कार्य करवा सकते है। राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम, 2016 के साथ संलग्न प्रारूप 2 के भाग के ''ए'' में अंकित टर्म ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference) इस प्रकरण में मानी जावेगी। अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत निर्धारित समय में उक्त कार्य सम्पादित करे साथ ही उक्त नियमों के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप 3 में रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(त्रिभुवनपति)
शासन संयुक्त सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव (प्रथम), माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, जोधपुर कलक्टर जोधपुर।
6. सचिव राजस्व विभाग जयपुर।
7. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर मय सी.डी. भेजकर लेख है कि कृपया इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर अंक की प्रति इस विभाग को भेजने की व्यवस्था करें।
10. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार तहसील जोधपुर।
11. वरिष्ठ उपशासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त अधिसूचना मय संलग्न भूमि विवरण विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु मय अतिरिक्त प्रति के।
12. निर्देशक जनसम्पर्क विभाग शासन सचिवालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में करवाया जा कर प्रकाशित प्रतिया उपलब्ध करवाने का श्रम करें।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव–द्वितीय